फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 194/2024

सरकार बनाम लोकेश

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन मीणा हाजिर। प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 15.05.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
15.05.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि वादी को विवादित भूमि आ ख नं 37/0.02, 38/0.20 39/0.05, 41/0.22, 42/0.15, 43/0.09, 47/0.20 किता 7 रकबा 0.93 है0, व 54/1.08 (आशिक) वाके ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू में खातेदार अधिकारी होते हुय कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर आवासीय कार्य हेतु किया लिया है। अतः विवादित भूमि को राज्य सरकार मे निहित किए जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी ने प्रतिवादी करते हुय कथन किया है कि विवादित भूमि पर कोई गैर कृषि आवासीय कार्य नही किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी/प्रतिवादी को बेदखल किये जाने का कोई औचित्य नही है। उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते है कि तहसीलदार तहसील चाकसू की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि पर लगभग 32 X 16 वर्गफीट में 2 कमरे बने हुये है जिन पर टीनशेड लगे हुये है वह लगभग 20 X 35 वर्गफीट में बाउन्ड्री बनी हुई है एवं कुछ हिस्से पर जुताई हो रखी है। यदि अधिनियम के तहत अनुमत आवास गृह के अतिरिक्त कोई गैर कृषि कार्य हो तो नियमानुसार राज्य सरकार में निहित समझी जावेगी। अतः वादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादियों को हिदायत दी जाती है कि इस आदेश की सम्यक तामील से तीन माह के भीतर विवादित भूमि आ ख नं 37/0.02, 38/0.20 39/0.05, 41/0.22, 42/0.15, 43/0.09, 47/0.20 किता 7 रकबा 0.93 है0, व 54/1.08 (आशिक) ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू को इस अधिनियम के तहत अनुमत आवास गृह के अतिरिक्त कोई गैर कृषि कार्य हो तो पुनः कृषि उपयोग में परिवर्तत कर ले। यदि तीन माह पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस आशय से सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तत करवाए। गैर कृषि उपयोग जारी रखता है, तो विवादित भूमि भूमिधारी यानि राज्य सरकार में निहित समझी जावेगी। इस आदेश की प्रति प्रतिवादीगणों को निशुल्कः जरिये डाक वादी द्वारा भिजवाई जावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	